अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः 1098/अपील–  /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री विजय कुमार चौधरी,**
**अपीलार्थी**
ग्राम अमखेरा, ग्राम पंचायत अमखेरा,
भवन के पीछे, पोस्ट ऑफिस आधारताल, गोहलपुर,
जिला जबलपुर।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता,** **लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 19 दिसम्बर, 2007)**

श्री विजय कुमार चौधरी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.11.2007 को लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन में निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 12.12.2007 को अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अपील की गई है।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत पत्र दिनांक 06.11.2007 से निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था :–

1. संचालनालयों/विभागाध्यक्षों के कार्यालय के कुल कितने अधिकारी मंत्रालय में संलग्न एवं प्रतिनियुक्ति में कार्यरत हैं।
2. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में शामिल किए गए एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
3. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किये गये एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
4. डी.पी.सी. दिनांक 15.09.1993 में के कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रतियाँ।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2007 को संबंधित अवर सचिव, कक्ष–2 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को अवगत कराया गया है। जिसमें बिंदु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में निषेधित होने के कारण अमान्य की गई है तथा बिंदु क्रमांक 4 में अंकित पदोन्नत उप जिलाध्यक्षों की सूची उपलब्ध कराई गई है।

निरंतर .....



4/ श्री विश्वमित्र श्रीवास्तव द्वारा अपने अपील आवेदन में यह लेख किया है कि अपील आदेश दिनांक 7.5.2007 के अनुसार डी.पी.सी. दिनांक 15.9.1993 के मापदण्ड और शामिल किए गए, पदोन्न्त किए गए, पदोन्नत न किए गए लोगों की प्रमाणित प्रतियाँ दी गई हैं। परन्तु वर्तमान में उक्त जानकारी देने से मना किया गया है।

5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी की नस्ती के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी हेतु संबंधित उप सचिव, कक्ष–2 को दिनांक 25.8.07 को लिखा गया था। संबंधित शाखा द्वारा 20.9.07 को यह अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में विभागीय निर्णय की जानकारी एक अन्य प्रकरण (श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव) में उपलब्ध कराई जा चुकी है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वही जानकारी पुनः प्रदान किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तद्नुसार पूर्व में प्राप्त विभागीय निर्णय से दिनांक 15.10.2007 को अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है।

6/ इस प्रकरण में भी अपीलकर्ता को डी.पी.सी. का कार्यवाही विवरण दिए जाने के संबध में मान0 मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रकरण क्रमांक ए. –0351/2006 में यह निर्णित किया है कि "विभागीय पदोन्नति समिति के मिनिट्स व्यक्तिगत् जानकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं बल्कि यह शाासकीय कार्यवाही का भाग है जिसे प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार है" तद्नुसार इस प्रकरण में भी अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधन अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी निःशुल्क प्रदाय की जाए।

8/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( आई.एम. चहल )**
अपीलीय प्राधिकारी एवं
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः 1098/अपील–  /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री विजय कुमार चौधरी,**

**अपीलार्थी**

ग्राम अमखेरा, ग्राम पंचायत अमखेरा,
भवन के पीछे, पोस्ट ऑफिस आधारताल, गोहलपुर,
जिला जबलपुर।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 19 दिसम्बर, 2007)**

श्री विजय कुमार चौधरी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.11.2007 को लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन में निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 12.12.2007 को अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अपील की गई है।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत पत्र दिनांक 06.11.2007 से निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था :–

1. संचालनालयों/विभागाध्यक्षों के कार्यालय के कुल कितने अधिकारी मंत्रालय में संलग्न एवं प्रतिनियुक्ति में कार्यरत हैं।
2. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में शामिल किए गए एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
3. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किये गये एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
4. डी.पी.सी. दिनांक 15.09.1993 में के कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रतियाँ।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2007 को संबंधित अवर सचिव, कक्ष–2 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को अवगत कराया गया है। जिसमें बिंदु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा

8(1)(जे) में निषेधित होने के कारण अमान्य की गई है तथा बिंदु क्रमांक 4 में अंकित पदोन्नत उप जिलाध्यक्षों की सूची उपलब्ध कराई गई है।

निरंतर .....



4/ श्री विश्वमित्र श्रीवास्तव द्वारा अपने अपील आवेदन में यह लेख किया है कि अपील आदेश दिनांक 7.5.2007 के अनुसार डी.पी.सी. दिनांक 15.9.1993 के मापदण्ड और शामिल किए गए, पदोन्नत किए गए, पदोन्नत न किए गए लोगों की प्रमाणित प्रतियॉं दी गई हैं। परन्तु वर्तमान में उक्त जानकारी देने से मना किया गया है।

5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी की नस्ती के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी हेतु संबंधित उप सचिव, कक्ष–2 को दिनांक 25.8.07 को लिखा गया था। संबंधित शाखा द्वारा 20.9.07 को यह अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में विभागीय निर्णय की जानकारी एक अन्य प्रकरण (श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव) में उपलब्ध कराई जा चुकी है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वही जानकारी पुनः प्रदान किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तद्नुसार पूर्व में प्राप्त विभागीय निर्णय से दिनांक 15.10.2007 को अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है।

6/ इस प्रकरण में भी अपीलकर्ता को डी.पी.सी. का कार्यवाही विवरण दिए जाने के संबध में मान0 मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रकरण क्रमांक ए. –0351/2006 में यह निर्णित किया है कि "विभागीय पदोन्नति समिति के मिनिट्स व्यक्तिगत् जानकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं बल्कि यह शाासकीय कार्यवाही का भाग है जिसे प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार है" तद्नुसार इस प्रकरण में भी अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधन अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी निःशुल्क प्रदाय की जाए।

8/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( आई.एम. चहल )**
अपीलीय प्राधिकारी एवं
प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–31/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री मनोज श्रीवस्तव,**

**अपीलार्थी**

द्वारा मनोज श्रीवास्तव,
वर्गे की गोंठ, जनकगंज,
ग्वालियर, म0प्र0।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 14 नवम्बर, 2007)**

श्री विश्वमित्र श्रीवास्तव द्वारा श्री मनोज श्रीवस्तव, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.8.2007 लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन में निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 01.10.2007 को अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अपील की गई है।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी श्री मनोज श्रीवास्तव, ग्वालियर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.08.2007 से निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था :–

1. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 के मापदण्ड की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में शामिल किए गए एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
3. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किये गये एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
4. डी.पी.सी. दिनांक 15.09.1993 में के कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रतियाँ।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2007 को संबंधित अवर सचिव, कक्ष–2 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को अवगत कराया गया है। जिसमें बिंदु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में निषेधित होने के कारण अमान्य की गई है तथा बिंदु क्रमांक 4 में अंकित पदोन्नत उप जिलाध्यक्षों की सूची उपलब्ध कराई गई है।

निरंतर .....

4/ श्री विश्वमित्र श्रीवास्तव द्वारा अपने अपील आवेदन में यह लेख किया है कि अपील आदेश दिनांक 7.5.2007 के अनुसार डी.पी.सी. दिनांक 15.9.1993 के मापदण्ड और शामिल किए गए, पदोन्न्त किए गए, पदोन्नत न किए गए लोगों की प्रमाणित प्रतियाँ दी गई हैं। परन्तु वर्तमान में उक्त जानकारी देने से मना किया गया है।

5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी की नस्ती के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी हेतु संबंधित उप सचिव, कक्ष–2 को दिनांक 25.8.07 को लिखा गया था। संबंधित शाखा द्वारा 20.9.07 को यह अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में विभागीय निर्णय की जानकारी एक अन्य प्रकरण (श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव) में उपलब्ध कराई जा चुकी है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वही जानकारी पुनः प्रदान किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तद्नुसार पूर्व में प्राप्त विभागीय निर्णय से दिनांक 15.10.2007 को अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है।

6/ इस प्रकरण में भी अपीलकर्ता को डी.पी.सी. का कार्यवाही विवरण दिए जाने के संबध में मान0 मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रकरण क्रमांक ए. –0351/2006 में यह निर्णित किया है कि "विभागीय पदोन्नति समिति के मिनिट्स व्यक्तिगत् जानकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं बल्कि यह शाासकीय कार्यवाही का भाग है जिसे प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार है" तद्नुसार इस प्रकरण में भी अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधन अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी निःशुल्क प्रदाय की जाए।

8/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( आई.एम. चहल )**
अपीलीय प्राधिकारी एवं
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–34/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री जी0एस0 लोधी,**

**अपीलार्थी**

सहायक ग्रेड–3,
स्थानांतरण प्रकोष्ठ (सा.प्र.वि.)
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 22 नवम्बर, 2007)**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) में आवेदक (तत्कालीन पदस्थापना गृह विभाग, म.प्र. मंत्रालय) के विरूद्ध विभागीय जांच की प्रचलित नस्ती (नस्ती क्र. एफ 9–12/2003/एक/7–1/स्था.) की नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक–1 से अंतिम पृष्ठ तक तथा पत्राचार के पृष्ठ क्रमांक–1 से अंतिम पृष्ठ तक की छायाप्रति "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के तहत चाही गई।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक 14.9.2007 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की कण्डिका 8(1)(H) के तहत दी जाना संभव नहीं है।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 14.09.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.10.2007 को अपील की गई। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह लेख किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कंडिका 8(1)(एच) में निम्नानुसार प्रावधान हैं :

> "सूचना, जिसमें अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी"

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उसे भारतीय दंड विधान की किन धाराओं के अंतर्गत किस दिनांक से अपराधी घोषित किया गया है की सत्यापित प्रतिलिपि सहित प्रथम संसूचना की अभिप्रमाणित प्रति तथा अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी न्याय हित में मुहैया कराई जाए।

अपीलार्थी के आवेदन, लोक सूचना अधिकारी की नस्ती और अपीलार्थी द्वारा वांछित विभागीय जांच से संबंधित नस्ती क्रमांक एफ. 9–2/2003/1/7–1/स्थापना का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि वर्तमान में विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रचलित है। इस स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(एच) के तहत जानकारी दी जाना निषेधित है। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयुक्त के अनेक निर्णय हैं। श्री गोविन्द झा विरूद्ध आर्मी हेडक्वार्टर में केन्द्रीय सूचना आयुक्त द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "Premature disclosure of information in vigilance matter barred." श्री बी.एल. चाण्डक विरूद्ध सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन में केन्द्रीय सूचना आयुक्त द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "When disciplinary enquiry is in progress the information may be denied."

श्री टी0 श्रीकांत विरूद्ध SAMEER में हुए निर्णय दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 में केन्द्रीय सूचना आयुक्त द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि "अनुशासनिक नियमों में अपचारी कर्मचारी को संबंधित रिकार्ड प्राप्त करने के लिए समुचित प्रावधान हैं और चूंकि अनुशासनिक कार्यवाही अर्ध–न्यायिक प्रक्रिया है। अतः इसमें हस्तक्षेप करने के लिए वैधानिक आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी को यह सुझाव दिया जाता है कि वह अनुशासनिक नियमों में उपलब्ध अवसरों का पहले उपयोग करे।"

केन्द्रीय सूचना आयुक्त के उक्त निर्णयों के अनुक्रम में अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है और लोक सूचना अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है।

8/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस0डी0 अग्रवाल)**
अपीलीय प्राधिकारी एवं
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–33/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री विश्वमित्र श्रीवस्तव,**
**अपीलार्थी**
द्वारा मनोज श्रीवास्तव,
वर्गे की गोंठ, जनकगंज,
ग्वालियर, म0प्र0।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 14 नवम्बर, 2007)**

श्री विश्वमित्र श्रीवास्तव द्वारा श्री मनोज श्रीवस्तव, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.8.2007 लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन में निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 01.10.2007 को अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अपील की गई है।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी श्री मनोज श्रीवास्तव, ग्वालियर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.08.2007 से निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था :–

1. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 के मापदण्ड की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में शामिल किए गए एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
3. डी.पी.सी. दिनांक 2.4.1994 में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किये गये एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
4. डी.पी.सी. दिनांक 15.09.1993 में के कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रतियाँ।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2007 को संबंधित अवर सचिव, कक्ष–2 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदक को अवगत कराया गया है।

जिसमें बिंदु क्रमांक 1, 2 एवं 3 की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में निषेधित होने के कारण अमान्य की गई है तथा बिंदु क्रमांक 4 में अंकित पदोन्नत उप जिलाध्यक्षों की सूची उपलब्ध कराई गई है।

निरंतर .....



4/ श्री विश्वमित्र श्रीवास्तव द्वारा अपने अपील आवेदन में यह लेख किया है कि अपील आदेश दिनांक 7.5.2007 के अनुसार डी.पी.सी. दिनांक 15.9.1993 के मापदण्ड और शामिल किए गए, पदोन्त्त किए गए, पदोन्नत न किए गए लोगों की प्रमाणित प्रतियाँ दी गई हैं। परन्तु वर्तमान में उक्त जानकारी देने से मना किया गया है।

5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी की नस्ती के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी हेतु संबंधित उप सचिव, कक्ष–2 को दिनांक 25.8.07 को लिखा गया था। संबंधित शाखा द्वारा 20.9.07 को यह अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में विभागीय निर्णय की जानकारी एक अन्य प्रकरण (श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव) में उपलब्ध कराई जा चुकी है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वही जानकारी पुनः प्रदान किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तद्नुसार पूर्व में प्राप्त विभागीय निर्णय से दिनांक 15.10.2007 को अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है।

6/ इस प्रकरण में भी अपीलकर्ता को डी.पी.सी. का कार्यवाही विवरण दिए जाने के संबध में मान0 मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रकरण क्रमांक ए. –0351/2006 में यह निर्णित किया है कि "विभागीय पदोन्नति समिति के मिनिट्स व्यक्तिगत् जानकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं बल्कि यह शाासकीय कार्यवाही का भाग है जिसे प्राप्त करने का अपीलार्थी हकदार है" तद्नुसार इस प्रकरण में भी अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधन अनुसार अपीलार्थी के आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी निःशुल्क प्रदाय की जाए।

8/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( आई.एम. चहल )**

अपीलीय प्राधिकारी एवं
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–37/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री एम.एल. मित्तल,**

**अपीलार्थी**

अपर कलेक्टर (सेवा निवृत्त)
बी–2, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 23 अक्टूबर, 2007)**

श्री एम.एल. मित्तल, अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.08.2007 में भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.11.2005 पर की गई कायक्रवाही से संबंधित संपूर्ण नस्ती की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराइक्र जावे।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 11.10.2007 द्वारा आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतगक्रत संबंधित कक्ष/अनुभाग से प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित की गई।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 11.10.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलाथीक्र द्वारा दिनांक 03.10.2007 को अपील की गइक्र है। अपील में अपीलाथीक्र द्वारा यह लेख किया गया है कि उनके आवेदन पत्र का निपटारा 30 दिन की अवधि के अन्दर किया जाना था जो नहीं किया गया है। अतः यह माना जाए कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने वांछित जानकारी देने से इंकार कर दिया है, जबकि चाही गइक्र जानकारी प्राप्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और लोक सूचना अधिकारी के आदेश का परीक्षण करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपीलाथीक्र द्वारा चाही गइक्र जानकारी सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 की कंडिका 8(1)( J) के अंतगक्रत दी जाना निषेधित है। उपरोक्त जानकारी का लोक हित से कोई संबंध नहीं है।

5/ अतः अपीलार्थी का आवेदन अमान्य किया जाता है। लोक सूचना का अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–29/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री सुधीर कुमार नायक,**
**अपीलार्थी**
अध्यक्ष,
मंत्रालय कर्मचारी संघ,
भोपाल.

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता,** **लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 1 नवम्बर, 2007)**

श्री सुधीर कुमार नायक, अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.08.2007 में निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

1. श्री मनोज बाथम, सहायक ग्रेड–1, गृह विभाग, मंत्रालय
2. श्री गणेश राम बाथम, सहायक ग्रेड–1, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय
3. श्रीमती गीता बाथम, सहायक ग्रेड–1, आदिम जाति कल्याण विभाग, मालय
4. श्रीमती दुर्गा रायकवार, सहायक ग्रेड–1, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय
5. श्री गुलाबचंद रायकवार, सहायक गेड–1, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
6. श्री मुकेश बाथम, सहायक गेड–3, वित्त विभाग, मंत्रालय

आदि की पदोन्नति जिस नियम के तहत रोकी गइक्र हैं। उक्त नियम की प्रति उपलब्ध कराने बाबत।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा आवेदक को संबंधित कक्ष/अनुभाग से प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित की गई।

3/ अपीलार्थी के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 12.10.2007 के पूर्व ही दिनांक 28.09.2007 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह लेख किया गया है कि चाही गई जानकारी एक माह के उपरांत भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। अतः चाही गई जानकारी उन्हें तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

निरंतर .....



4/ अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन और लोक सूचना अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक (अपीलार्थी) के आवेदन पत्र पर गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय दिनांक 12.10.2007 को सूचित किया गया है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के मूल आवेदन पत्र का यथोचित निराकरण किया जा चुका है, अतएव अपील infructuous हो जाने से नस्तीबद्ध की गई। अपीलार्थी सूचित हो।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–35/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री रमेश ठाकरे,**

**अपीलार्थी**

30 कबीर बाडा,
वाड क्र0 क्रमांक – 5,
मेन रोड, लटेरी, जिला विदिशा.

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 01 नवंबर, 2007)**

श्री रमेश ठाकरे, अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.08.2007 में निम्नलिखित जानकारी चाही गई :–

1. श्री के.एस. मारन, सचिव, गैस राहत, वल्लभ भवन, भोपाल
2. श्री हरिसिंह मीना, संयुक्त कलेक्टर, मंदसौर जिला मंदसौर

उपरोक्त की नियुक्ति एवं जाति प्रमाण पत्र व मूल निवासी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराने बाबत।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक 06.09.2007 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8(1)(J) के तहत दी जाना निषेधित है।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 06.09.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2007 को अपील की गई है। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह लेख किया गया है कि उक्त जानकारी लोकहित में एवं न्याय हित में विधिपूरक है एवं कल्याण समाज स्थापना के लिए जानकारी उपलब्ध कराना अति आवश्यक है।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और लोक सूचना अधिकारी के आदेश का परीक्षण करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 की कंडिका 8(1)( J) के अंतर्गत दी जाना निषेधित है। उपरोक्त जानकारी का लोक हित से कोई संबंध नहीं है।

5/ लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपरोक्त आदेश इस कारण से स्थिर रखे जाने योगय नहीं है क्योंकि उन्होंने अपीलार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी चाही गई थी उप पर श्री के0एस0 मारन एवं श्री हरीसिंह मीना से कोईं अभिमत/जवाब प्राप्त नहीं किया गया। अतएव अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है वे तृतीय पक्षकार अर्थात् संबंधित अधिकारी, श्री के0एस0 मारन तथा श्री हरिसिंह मीना से अपीलार्थी (आवेदक) के आवेदन पर अभिमत/जवाब प्राप्त कर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लें।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–27/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री विश्वमित्र श्रीवस्तव,**
**अपीलार्थी**
द्वारा मनोज श्रीवास्तव,
वर्गे की गोंठ, जनकगंज,
ग्वालियर, म0प्र0।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 19 सितम्बर, 2007)**

श्री मनोज श्रीवस्तव, अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.02.2007 में निर्धारित समयावधि में कोई विनिश्चय प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 24.04.2007 (विभाग में प्राप्त) को अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अपील की गई।

2/ प्रकरण में अपीलार्थी श्री मनोज श्रीवास्तव, ग्वालियर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत पत्र दिनांक 20.02.2007 (दिनांक 05.03. 2007 को प्राप्त) से निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था :–

1. डी.पी.सी. दिनांक 15.09.1993 में शामिल किए गए एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
2. डी.पी.सी. दिनांक 15.09.1993 में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किये गये एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
3. डी.पी.सी. दिनांक 22.04.1993 में शामिल किए गए एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।
4. डी.पी.सी. दिनांक 22.04.1993 में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत किये गये एस.एल.आर. व्यक्तियों की सूची।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को कोई विनिश्चय प्रदाय नहीं किा गया एवं इसी के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

4/ श्री मनोज श्रीवास्तव, ग्वालियर की अपील पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 07.05.2007 को तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित हुए एवं

निरंतर .....



उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलाथीक्र द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। नस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत अपीलार्थी के मूल आवेदन पत्र पर प्राप्ति संबंधी कोई तिथि अंकित नहीं है, जिससे यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि उक्त आवेदन किस दिनांक को प्राप्त हुआ है। मात्र नोटशीट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन दिनांक 05.03. 2007 को प्राप्त हुआ है। दिनांक 05.03.2007 को आवेदन पत्र प्राप्त होने के बावजूद दिनांक 22.03.2007 को संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है। नस्ती के अवलोकन से आवेदक को कोई जानकारी दी जाना प्रतीत नहीं होता है। यदि दिनांक 15.09.1993 एवं 22.04.1993 को कोई डी.पी.सी. आयोजित की गई है, तो उससे संबंधित अभिलेखों की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी एवं यदि उक्त तिथियों को कोई डी.पी.सी. आयोजित नहीं की गई है, तो अपीलार्थी को तदानुसार स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए था।

6/ उपरोक्त विवरण के आधार पर अपीलार्थी श्री मनोज श्रीवास्तव, ग्वालियर की अपील को मान्य करते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधान अनुसार अपीलार्थी को उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी निशुल्क प्रदाय की जाए।

7/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–27/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**डॉ0 पुखराज मारू,**

**अपीलार्थी**

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 19 सितम्बर, 2007)**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से उनकी पत्नी एवं पुत्र द्वारा की गई शिकायतों की प्रतियां चाही गई।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक 22.08.2007 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8(1)(J) के तहत दी जाना निषेधित है।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 22.08.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.09.2007 को अपील की गई है। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह लेख किया गया है कि इस जानकारी से किसी का व्यक्तिगत हित प्रभावित नहीं होता है तथा इसे प्राप्त करने का अपीलार्थी का अधिकारी है।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और लोक सूचना अधिकारी के आदेश का परीक्षण करने के पश्चात यह स्पष्ट है स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 की कंडिका 8(1)( J) के अंतगक्रत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।

5/ अतः अपीलार्थी का आवेदन अमान्य किया जाता है। लोक सूचना का अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश

निरंतर .....



सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–27/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री जी.एस. लोधी,**

**अपीलार्थी**

सहायक ग्रेड–3,
स्थानांतरण प्रकोष्ठ (सा.प्र.वि.)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 19 सितम्बर, 2007)**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) में आवेदक (तत्कालीन पदस्थापना गृह विभाग) म.प्र. मंत्रालय के विरूद्ध विभागीय जांच की प्रचलित नस्ती (नस्ती क्र. एफ 9–12/2003/एक/7–1/स्था.) की नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक–1 से अंतिम पृष्ठ तक तथा पत्राचार के पृष्ठ क्रमांक–1 से अंतिम पृष्ठ तक की छायाप्रति "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के तहत चाही गई।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक 14.9.2007 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की कण्डिका 8(1)(H) के तहत दी जाना संभव नहीं है।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 14.09.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलाथीक्र द्वारा दिनांक 03.10.2007 को अपील की गइक्र है। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह लेख किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कंडिका 8(1)(एच) में निम्नानुसार प्रावधान हैं :

> "सूचना, जिसमें अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी"

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उसे भारतीय दंड विधान की किन धाराओं के अंतर्गत किस दिनांक से अपराधी घोषित किया गया है की सत्यापित प्रतिलिपि सहित प्रथम

संसूचना की अभिप्रमाणित प्रति तथा अनुसंधान की वतक्रमान स्थिति की भी जानकारी न्याय हित में मुहैया कराइक्र जाए।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और लोक सूचना अधिकारी के आदेश का परीक्षण करने के पश्चात यह स्पष्ट है स्पष्ट है कि अपीलाथीक्र द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के

निरंतर .....



अधिकार अधिनिमय 2005 की कंडिका 8(1)(एच) अंतगक्रत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।

5/ अतः अपीलार्थी का आवेदन अमान्य किया जाता है। लोक सूचना का अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–27/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री जितेन्द्र सिंह,**
**अपीलार्थी**
जी–7/27, नार्थ टी.टी. नगर,
भोपाल म.प्र.

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 1 नवम्बर, 2007)**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई :–

1. ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं के पश्चात संवगक्रवार एवं विभागवार लाभान्वित कर्मचारियों की जानकारी
2. ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न विभागों के कुल कितने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ हुआ है। (कुल संख्या)
3. ब्रम्हस्वरूप समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा 1–4–2006 से लागू किये जाने पश्चात प्रति वर्ष शासन को कितनी राशि का खर्च करना पड़ रहा है, एवं प्रति कर्मचारी को औसतन लगभग कितना लाभ होगा ?
4. यदि उपरोक्त जानकारी शासन के पास उपलब्ध नहीं है तो मुझे वैसा स्पष्ट सूचित करें कि ऐसी जानकारी शासन के पास उपलब्ध नहीं है।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक 6.9.2007 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में है, जो कि "सूचना" की परिभाषा में नहीं है।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश क्रमांक 846/आवेदन क्र. 754/लोसूअ/2007, दिनांक 6.9.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलाथीक्र द्वारा दिनांक 5.10. 2007 को अपील की गई है। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह लेख किया गया है लोक सूचना अधिकारी की उपरोक्त टिप्पणी से से वे बिलकुल सहमत नहीं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (3)च के अंतर्गत "सूचना" को अत्यंत

स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में होने पर सूचना की परिभाषा से बाहर हो जाएगी। अधिनियम की अन्य किसी धारा के अंतगक्रत भी इस बात का कहीं कोइक्र उल्लेख नहीं है कि जानकारी प्रश्नोत्तर के

निरंतर .....



रूप में पूछे जाने पर उसे "सूचना" की परिभाषा से बाहर समझा जाए।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और लोक सूचना अधिकारी के आदेश का परीक्षण करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा – 2 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। इस संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयुक्त के निर्णय क्रमांक 236 दिनांक 11.9. 2006 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वही सूचना दे सकता है, जो उसके पास उपलब्ध है और आवेदक के आवेदन पर सूचना को बना भी नहीं सकता है।

5/ अतः अपीलार्थी का आवेदन अमान्य किया जाता है। लोक सूचना का अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–27/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री आर0एन0 गर्ग,**

**अपीलार्थी**

सेवानिवृत्त उप जिलाध्यक्ष,
62 शकुन्तला पुरी,
ठाठीपुर, ग्वालियर म.प्र.

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 17 सितम्बर, 2007)**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से मध्यप्रदेश शासन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत राजधानी मुख्यालय भोपाल क्षेत्र सहित राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों, संभागीय मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों पर वी.वी.आई.पी., वी.आई.पी.,/अति विशिष्ट महानुभावों,/राजकीय अतिथियों,/माननीय उच्चतम एवं सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,/केन्द्र, म.प्र. सहित अन्य राज्यों के मंत्रीगणों,/केन्दक्र म.प्र. सहित एवं अन्य राज्यों के सांसदों, विधान सभा सदस्यों/सभी प्रकार के आयोगों के प्रमुखों,/सदस्यों,/विदेशी और शासकीय,/अशासकीय अतिथियों को,/केन्द्र व म.प्र. सहित एवं अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के भक्रमण,/घोषित अघोषित विशिष्ट महानुभावों,/मंत्रीगणों के भ्रमण/विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ राजनेताओं/स्थानीय राजनेताओं के भ्रमण के लिए/सभी प्रकार के सम्मेलन,/राजनैतिक रैलियों,प्रदर्शनों/उद्घाटन समारोह,/लोकाप्रण समारोह/एवं सभी प्रकार के निर्वाचन कार्यों के संपादन के लिए निर्वाचन के समय तथा निर्वाचन के पूर्व एवं पश्चात् की व्यवस्थाओं/प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों का अधिग्रहण कर उपयोग करने की व्यवस्था की जाती है अथवा विभागीय रूप से भी पृथक से व्यवस्था कराई जाती है, इत्यादि के संबंध में जानकारी चाही गई।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करते हुए अपने आदेश दिनांक 25.8.2007 द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में है, जो कि "सूचना" की परिभाषा में नहीं है।

3/ लोक सूचना अधिकारी के आदेश दिनांक 25.8.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.9.2007 को अपील की गई है। अपील में अपीलार्थी द्वारा यह

निरंतर .....



लेख किया गया है कि उनका आवेदन दिनांक 17.8.2007 को लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हो गया था एवं अपीलार्थी द्वारा स्मरण पत्र देने के बाद भी पावती प्रदान नहीं की गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि वांछित जानकारी प्रश्नोत्तर रूप में है, जो कि "सूचना" की परिभाषा में नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सार्वजनिक महत्व की जानकारी देने से इन्कार किया गया है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इत्यादि, अतः निरस्तनीय होकर अपीलार्थी के आवेदन अनुसार जानकारी उपलब्ध कराया जाना मान्य किया जावे।

4/ आवेदक को समक्ष में सुनवाई हेतु दिनांक 17.10.2007 को बुलाया गया। अपीलार्थी को प्रकरण के संबंध में समक्ष में सुना गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में चाही गई थी, जो कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयुक्त के निर्णय क्रमांक 236 दिनांक 11.9.2006 में लेख किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वही सूचना दे सकता है, जो उसके पास उपलब्ध है और आवेदक के आवेदन पर सूचना को बना भी नहीं सकता है। अतः अपीलार्थी का आवेदन निरस्ती योग्य है।

6/ उभय पक्षों के तर्कों पर श्रवण करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनिमय 2005 की धारा – 2 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। अतः अपीलार्थी की अपील अमान्य की जाती है। लोक सूचना का अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है।

7/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( एस.डी. अग्रवाल )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ /अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री बी0सी0 पाण्डे,**

**अपीलार्थी**

344–जीवाजी नगर,
थाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 24 सितम्बर, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 26.3.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई :–

> "शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही से संबंधित नियम/परिपत्र/दिशा निर्देश की जानकारी।"

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.6.2007 द्वारा आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई गई।

3/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी दिनांक 30.6.2007 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा दिनांक 10.8.2007 को अपील की गई है। अपील में आवेदक द्वारा यह लेख किया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 7.4.2007 के आवेदन के अनुक्रम में दिनांक 30.6.2007 को जानकारी उलपब्ध कराई गई है। जानकारी देने में 52 दिन का विलम्ब हुआ है। अतः लोक सूचना अधिकारी पर पेनाल्टी लगाई जाए। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुत्तरदायित्वपूर्ण है।

4/ आवेदक को समक्ष में सुनवाई हेतु दिनांक 1.9.2007 को बुलाया गया। आवेदक के अनुपस्थित रहने पर उन्हें पुनः दिनांक 13.9.2007 को अवसर दिया गया। आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 7.9.2007 में यह उल्लेख किया है कि अस्वस्थता के कारण अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमथक्र है। अतः उनके अपील आवेदन में अंकित किए गए तथ्यों के आधार पर ही अपीलकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जावे।

5/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दिनांक 30.6.2007 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी की नस्ती से यह स्पष्ट है कि आवेदक के आवेदन दिनांक 9.4.2007 के अनुक्रम में आरक्षण प्रकोष्ठ से जानकारी चाही गई थी। आरक्षण

निरंतर .....



प्रकोष्ठ द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से संबंधित हैं, प्रकरण को दिनांक 31.5.2007 को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को स्थानांतरित किया गया। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उक्त आवेदन मूलतः वापिस करते हुए लेख किया कि उक्त प्रकरण का संबंध उनके विभाग से नहीं है।

6/ चूंकि प्रकरण में हुआ विलम्ब प्रक्रियात्मक है और आवेदक को वांछित जानकारी दी जा चुकी है। प्रकरण में आवेदक द्वारा एक सामान्य जानकारी चाही गई थी। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें सामान्य रूप से उत्तर दिया गया है। प्रकरण में अब किसी अगिक्रम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए।

5/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–23/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री कमलेश जैन,**

**अपीलार्थी**

आत्मज स्व0 श्री किरोड़ीलाल जैन,
मुख्य डाक घर गली, जैन धर्मशाला के पीछे,
रघुनाथगंज वार्ड,
जिला – कटनी (म0प्र0)

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 19 सितम्बर, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 25.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई :–

> राज्य सरकार के जारी पत्र आदेश क्रमांक एफ. 11–37–2005/एम/9, दिनांक 6.2.2006 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में गरीबी रेखा सूची वालों से सूचना देने का शुल्क न लिये जाने के संबंध में) की सत्यप्रतिलिपि दी जावे।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.08.2007 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तगक्रत संबंधित कक्ष/अनुभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार चाही गइक्र जानकारी निशुल्क प्रेषित की गई है।

3/ श्री कमलेश जैन, अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 29.08.2007 द्वारा अपील की गई। अपील में उन्होंने लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने का लेख करते हुए वांछित जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का लेख किया है।

4/ श्री कमलेश जैन दिनांक 13.09.2007 को सुनवाई हेतु समक्ष में उपस्थित नहीं हुए। चूंकि आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित जानकारी निःशुल्क दिनांक 31.8.2007 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे। आवेदक को तद्नुसार अवगत कराया जावे।

5/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश

निरंतर .....



सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–21/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री अपूर्व पंकज,**
**अपीलार्थी**
कार्यकारी संपादक,
न्यूज 7,
2/17 एल.आई.जी., विद्या नगर,
होशंगाबाद रोड, भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 03 सितम्बर, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 22.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई :–

1. म.प्र. कैडर के सभी आई.ए.एस. संवर्ग अधिकारियों के नाम तथा उनके मूल निवास का स्थाई पता।

2. म.प्र. में पदस्थ सभी आई.ए.एस. अधिकारियों द्वारा नौकरी शुरू करने के दौरान घोषित संपत्ति का विस्तृत ब्योरा दें।

3. यदि वर्तमान में उनकी संपत्ति का काई ब्योरा विभाग के पास उपलब्ध है तो कृपया जानकारी दें।

4. शासन प्रदेश में पदस्थ आई.ए.एस. अधिकारियों की संपत्ति का वर्षवार रिकार्ड रखता है यदि हाँ तो म.प्र. में पदस्थ सभी आई.ए.एस. अधिकारियों की वर्तमान संपत्ति का ब्योरा दें।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि वांछित जानकारी निम्नानुसार कारणों से उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं हैः–

(1) वांछित जानकारी fiduciary relationship से संबंधित होकर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8–1–(e) के अधीन निषेधित है।

(2) यह जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, जिसका लोकहित से संबंध नहीं है। अतः यह भी सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8–1–(j) के अधीन दिया जाना निषेधित है।

निरंतर .....



3/ श्री अपूर्व पंकज, अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 02.07.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष दिनांक 27.08.2007 को अपील की गई।

4/ श्री अपूर्व पंकज दिनांक 3.9.07 को सुनवाई हेतु समक्ष में उपस्थित हुए एवं लोक सूचना अधिकारी भी उपस्थित। आवेदक ने वही जानकारी चाही जो सामान्य रूप से व्यक्तियों को जानने का अधिकार है एवं जो जानकारी शासन सेवा में आने से पूर्व वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है व लोक हित में दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। प्रतिवर्ष का सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराने में भी कोई वैधानिक अवरोध नहीं है।

5/ लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि वांछित जानकारी का प्रथम बिन्दु की अधिकांश जानकारी पूर्व से ही एनआइक्रसी की वेब साईट पर proactive disclosure के अंतर्गत उपलब्ध है। जहां तक मूल निवास का स्थायी पता देने का संबंध है वह जानकारी संबंधित शाखा से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जा सकती है शेष बिन्दु की जानकारी वैश्वासिक स्वरूप की (fiduciary relationship) की है जो शासन और संबंधित अधिकारी के बीच विद्यमान हैं इसलिए अधिनियम की धारा–8(1)(जे) एवं (ई) के तहत इस प्रकार की जानकारी दी जाना निषेधित है तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्त के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में भी नियमानुसार देना संभव नहीं है। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयुक्त का निर्णय क्रमांक 256/आईसीसी(ए), एफ नंबर सीआईसी/एमए/ए/2006/00509 दिनांक 11.9.06 अवलोकनीय है। इसलिए प्रश्नाधीन आवेदन पूर्व में निरस्त किया गया है।

6/ प्रकरण के उभय पक्षों के कथनों को श्रवण करने और प्रकरण के समग्र परीक्षण के उपरांत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि प्रथम बिन्दु की जानकारी संबंधित शााखा से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जावे। शेष बिन्दुओं की जानकारी वैश्वासिक स्वरूप की होने के कारण इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी का निणक्रय उचित प्रतीत होता है।

7/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश

सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–17/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री अजय दुबे,**
**अपीलार्थी**
एल–2, बीडीए फलेट्स,
सी–सेक्टर, शाहपुरा,
भोपाल। पिन– 462038

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 03 सितम्बर, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 25.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

1. राज्य मंत्रालय में स्थित विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों की सूची जिसमें उनके फोन नम्बर एवं पते हों।

2. मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कितने लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों ने सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

3. सूचना के अधिकार के प्रचार–प्रसार के लिये शासन ने कितने कायक्रक्रम करें एवं इसमें खचक्र हुइक्र धनराशि का ब्योरा दें। (वषक्र 2005–06, 2006–07)

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.07.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तगक्रत संबंधित कक्ष/अनुभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा अपीलीय प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के नियुक्ति आदेश भेजे जाते हैं। उनकी सूची संबंधित प्रकोष्ठ में उपलब्ध नहीं है।

4/ मंत्रालय में अपीलीय प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा आयोजित किया गया था। जून–2007 में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर कायक्रशाला आयोजित की गइक्र थी।

निरंतर .....



5/ सूचना के अधिकार के प्रचार–प्रसार के लिए शासन के द्वारा किये गये कायक्रक्रमों एवं इसमें खचक्र हुइक्र धनराशि का ब्यौरा जनसंपक्र विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

6/ श्री अजय दुबे, अपीलाथीक्र द्वारा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 19.07.2007 से असंतुष्ट होकर अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष दिनांक 25.07.2006 को अपील की गइक्र।

7/ श्री अजय दुबे दिनांक 9.8.07 को सुनवाइक्र हेतु समक्ष में उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 25.6.07 को सूचना के अधिकार के अंतगक्रत तीन बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी। दिनांक 19.7.07 को लोक सूचना अधिकारी के पत्र द्वारा उन्हें प्रथम बिंदु की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा की। द्वितीय बिंदु की जानकारी अपीलाथीक्र के अनुसार अपूणक्र उपलब्ध करायी गयी तथा तीसरे बिंदु की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनसम्पक्र विभाग से संपक्र करने की सलाह दी गयी। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील में श्री दुबे का कहना है कि यदि उनके आवेदन पत्र में अन्य विभाग से संबंधित जानकारी चाही गयी थी तो अधिनियम की धारा–6 (3) तथा उसके तहत उनका आवेदन पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अंकित किया जाना था। लोक सूचना अधिकारी संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण और प्रथम बिंदु के संबंध में प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं करा पायी। तीसरे बिंदु के बारे में उनका कहना है कि यह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

8/ लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एकजाइक्र रूप से लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम या सूची, टेलीफोन नंबर या पता दिया हो, अलग से उपलब्ध नहीं है, बल्कि संबंधित लोक प्राधिकारियों ने वेबसाइट पर यह जानकारी, विशेषकर शासन के विभागों ने पूवक्र से ही प्रकाशित की हुइक्र है। चूंकि मध्यप्रदेश शासन के 52 विभाग हैं, इसलिए संभव नहीं था कि बिंदु क्रमांक–1 की जानकारी के लिए इन सभी विभागों को अपीलाथीक्र का आवेदन पत्र अगक्रेषित किया जाय। जहां तक दूसरे बिंदु का प्रश्न है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने के निदेक्रश जारी किये गये हैं। किन कमक्रचारियों/अधिकारियों ने किस तिथि को प्रशिक्षण लिया यह जानकारी विभाग में उपलब्ध न होने से प्रदान नहीं की जा सकी। सूचना के अधिकार से संबंधित समस्त प्रशिक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आयोजित नहीं होते बल्कि विभागों के

द्वारा ही स्वयं आयोजित किये जाते हैं। इसलिए यह जानकारी एकजाइक्र रूप से दी जाना संभव नहीं होती है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रचार प्रसार पर कोइक्र व्यय सीधे न किये जाने के कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। चूंकि जनसंपर्क विभाग द्वारा सूचना के अधिकार सहित शासन की अन्य योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा उनसे जानकारी प्राप्त करने का सुझाव आवेदक अपीलाथीक्र को दिया गया।

9/ अपीलार्थी ने अंत में यह भी कहा कि बिंदु क्रमांक–3 की जानकारी केवल जनसंपर्क विभाग से संबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी को उनका आवेदन जनसंपर्क विभाग को स्थानांतरित किया जाना चाहिए था।

निरंतर .....



10/ उभय पक्षों के कथनों के श्रवण करने और प्रकरण का समग्र परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग में आवेदक द्वारा चाही गइक्र जानकारी संकलित रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः जानकारी एकजाई रूप से दी जाना संभव नहीं है।

11/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–22/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री रामनिवास गुप्ता,**
**अपीलाथीक्र**
पुत्र स्व0 श्री बैजनाथ गुप्ता,
निवासी– 47, निशात कालोनी,
74 बंगला,
भोपाल (म.प्र.)

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 30 अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 26.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

1. मनीष सिंह आयुक्त नगर निगम भोपाल की प्रथम नियुक्ति कब और कहाँ किस पद पर की गइक्र जानकारी प्रमाणित प्रति में उपलब्ध कराये।
2. उपरोक्त के द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक को क्या–क्या अचल व चल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को दिया है, प्रमाणित प्रति प्रदान कराये।
3. उपरोक्त ने नियुक्ति उपरांत किन–किन चल एवं अचल संपत्तियों का क्रय करने के लिए विभाग से अनुमति प्राप्त की गइक्र अनुमति की प्रमाणित प्रति प्रदान कराये।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.08.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि वांछित जानकारी निम्नानुसार कारणों से उपलब्ध कराइक्र जाना संभव नहीं हैः–

(1) वांछित जानकारी व्यक्तिगत् सूचना से संबंधित है, जिसका लोकहित से संबंध स्पष्ट नहीं होने से, उक्त जानकारी धारा 8(1)(J) के तहत दी जाना निषेधित है।

(2) वांछित जानकारी fiduciary relationship से भी संबंधित है। अतः यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(J) के तहत दी जाना निषेधित है।

3/ इस ओदश के विरूद्ध अपीलाथीक्र द्वारा दिनांक 17.08.07 को अपील प्रस्तुत की गइक्र। दिनांक 29.8.2007 को सुनवाइक्र हेतु अपीलाथीक्र श्री रामनिवास गुप्ता एवं लोक सूचना

निरंतर .....



अधिकारी उपस्थित। अपील में श्री गुप्ता का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी का आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत है एवं अधिनियम की धारा 8(1)(J) की व्याख्या गलत की गइक्र है। जानकारी व्यक्ति से संबंधित न होकर लोकहित से संबंधित है इसलिए अपील स्वीकार कर जानकारी उन्हें दिलावयी जाये।

4/ लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि केन्दक्रीय सूचना आयुक्त ने अपने निणक्रय क्रमांक–256/आइक्रसी/(ए)/2006 एफ. नं0–सीआइक्रसी/एमए/ए/2006/100509 दिनांक 11.9.2006 को धारित किया है कि किसी शासकीय सेवक द्वारा धारित सम्पत्ति की जानकारी वैश्वासिक स्वरूप की होने से धारा– 8(1)(इक्र) एवं (जे) के अंतगक्रत दिये जाने के लिए बाध्यता नहीं है। यदि आवेदक को किसी प्रकार की अन्य शिकायत है तो वह सक्षम अधिकारी के समक्ष निराकरण करवा सकता है। अतः यह अपील उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से बाधित होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ अपीलाथीक्र एवं लोक सूचना अधिकारी के तकोक्रं के श्रवण करने और अपीलाथीक्र के आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी के रिकाडक्र का अवलोकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कषक्र पर पहुंचता हूँ कि अपीलाथीक्र द्वारा वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(J) के तहत व्यक्ति जानकीर होने एवं लोकहित संबंध स्पष्ट न होने से दी जाना निषेधित है। इसके साथ ही यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(इक्र) के तहत sidusiary realtionship से संबंधित होने के कारण श्री दी जाना निषेधित है। अतः अपीलार्थी की अपील अमान्य की जाती है।

6/ अपीलार्थी चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना

आयोग, द्वितीय मंजिल, निर्वाचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निर्धारित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–20/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री राजेन्दक्र अगाल,**
**अपीलाथीक्र**
**C/O**
अक्स पत्रिका,
जोन–1, प्लाट नं. 150, मनोरमा काम्प्लेक्स
भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता,** **लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 17 अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 28.04.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

सिंघल समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन की सत्य प्रतिलिपि दी जाए।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.06.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि वांछित जानकारी निम्नानुसार कारणों से उपलब्ध कराइक्र जाना संभव नहीं हैः–

(1) प्रकरण में अनियमितता की जाँच/विवेचना राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

(2 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतगक्रत राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को मुक्त रखा गया है।

3/ इस ओदश के विरूद्ध अपीलाथीक्र द्वारा दिनांक 18.7.07 को अपील प्रस्तुत की गइक्र। अपील मेमो में कहा गया है कि अधिनियम की धारा–24 (4) में भक्रष्टाचार के मामलों में वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि उन्होंने कैश डायरी या अन्य दस्तावेज नहीं चाहे हैं, बल्कि सिंघल समिति की जांच रिपोटक्र की सत्य प्रतिलिपि चाही है। अतः उन्हें यह उपलब्ध करायी जावे।

4/ लोक सूचना अधिकारी मय रिकाडक्र के उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में जांच चल रही है जिसे सूचना के

निरंतर .....



अधिकार अधिनियम 2005 के अंतगक्रत मुक्त रखा गया है। अतः जानकारी का अवलोकन करया जाना संभव नहीं है।

5/ अपीलाथीक्र ने कहा कि धारा–24 (4) के प्रावधान गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों पर लागू होते है परन्तु उसके परन्तुक में स्पष्ट कहा गया है कि भक्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सूचनाएं इस धारा से मुक्त होंगी।

6/ उभय पक्ष के अभिकथन सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कषक्र पर पहुंचता हूं कि अपीलाथीक्र द्वारा चाही गइक्र सिंघल समिति की जांच रिपोटक्र के संबंध में ब्यूरो में प्रकरण विचाराधीन है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा–8 (1)(एच) के अधीन अपीलाथीक्र की अपील अमान्य की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

9/ अपीलाथीक्र चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–19/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री राजेन्दक्र अगाल,**
**अपीलाथीक्र**
**C/O**
अक्स पत्रिका,
जोन–1, प्लाट नं. 150, मनोरमा काम्प्लेक्स
भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 17 अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 28.04.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

> दिनांक 21/8/1990 से जून 1995 तक की राज्य शिष्टाचार कायाक्रलय की कैशबुकों का अवलोकन।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.06.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि उक्त कैशबुकों का अवलोकन निम्नानुसार कारणों से कराया जाना संभव नहीं हैः–

(1) प्रकरण में अनियमितता की जॉच/विवेचना राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

(2 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अंतगक्रत राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को मुक्त रखा गया है।

3/ अपीलाथीक्र श्री राजेन्दक्र अगाल सुनवाइक्र हेतु दिनांक 17.8.07 को उपस्थित हुए। उन्होंने अवगत कराया कि उन्होंने दिनांक 28.4.07 को राज्य शिष्टाचार कायाक्रलय की कैश बुकों (वषक्र 1990 से 1995 तक) का अवलोकन करने की अनुमति लोक सूचना अधिकारी से चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 19.6.07

से अवगत कराया कि इन वांछित रिकाडोक्रं से संबंधित जांच राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है और विशेष सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे अवलोकन करने की अनुमति देना संभव नहीं है।

4/ इस ओदश के विरूद्ध अपीलाथीक्र द्वारा दिनांक 18.7.07 को अपील प्रस्तुत की गइक्र। अपील मेमो में कहा गया है कि अधिनियम की धारा–24 (4) में भक्रष्टाचार के मामलों में

निरंतर .....



वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिये। उन्होंने कैश डायरी अथवा अन्य दस्तावेज नहीं चाहे हैं बल्कि वे केवल उनका अवलोकन करना चाहते है अतः उन्हें वांछित कैश बुक के अवलोकन की अनुमति दी जाय।

5/ लोक सूचना अधिकारी मय रिकाडक्र के उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य आथिक्रक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में जांच चल रही है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतगक्रत पूणक्रतः मुक्त रखा गया है। अतः अपीलाथीक्र द्वारा वांछित जानकारी का अवलोकन करया जाना संभव नहीं है।

6/ अपीलाथीक्र ने कहा कि धारा–24 (4) के प्रावधान गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों पर लागू होते है परन्तु उसके परन्तुक में स्पष्ट कहा गया है कि भक्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सूचनाएं इस धारा से मुक्त होंगी। अतः जानकारी देना लोक सूचना अधिकारी के लिए बंधनकारी नहीं है।

7/ अपीलाथीक्र का यह भी कथन है कि उन्होंने जिस अवधि से रिकाडक्र का अवलोकन करना चाहा है उस अवधि में राज्य ब्यूरो में प्रकरण दजक्र नहीं किया है। अपीलाथीक्र के अनुसार उन्होंने केवल दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहा न कि किन्हीं अभिलेखों की नकल चाही है।

8/ लोक सूचना अधिकारी के अनुसार यह बिन्दु विचारणीय है कि ब्यूरो में स्वयं एक लोक प्राधिकारी है। चूँकि ब्यूरो का रिकाडक्र जब्त किया गया है तो ऐसे अभिलेखों के अवलोकन हेतु आवेदन सक्षक प्राधिकारी के समक्ष भी दिया जा सकता था।

9/ राज्य शिष्टाचार कायाक्रलय से जब्त किये गये अभिलेख किस वषक्र के है, यह जानकारी प्राप्त कर प्रकरण आदेशाथक्र रखा जाय। साथ ही मंत्रि–परिषद आदेश जिसमें ब्यूरो को इस अधिनियम की परिधि से मुक्त रखा गया है वह आदेश प्रस्तुत किया जाय।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–18/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री मनीष दीक्षित,**
**अपीलाथीक्र**
जी–2/224,
1100 क्वाटसक्र, अरेरा कालोनी,
भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 16 अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 04.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

1. क्या मध्यप्रदेश शासन में श्री पुखराज मारू I.A.S. अधिकारी कायक्ररत है ?
2. क्या श्री पुखराज मारू ने शासन को कभी भी ऐच्छिक सेवानिवृत्त करने अथवा सेवा से त्याग पत्र दिया था। इसके तदोपरान्त क्या भारत से बाहर विदेश यात्रा पर गए थे ?

   यदि हाँ तो,

   (a) ऐच्छिक सेवानिवृत करने का पत्र अथवा सेवा से त्यागपत्र किस दिनांक को श्री मारू ने शासन को दिया था

   (b) श्री मारू कब और किस देश में प्रवास पर गए थे

   (c) वह विदेश यात्रा से कब वापस आए

3. क्या विदेश यात्रा से वापस आने के बाद उन्होने मध्यप्रदेश शासन से दोबारा नोकरी में रखने एवं पैरा 2 में दशाक्रए पदो को वापस लेने के सम्बन्ध में कोइक्र आवेदन दिया था ?

(a) वह आवेदन किस दिनांक को श्री मारू ने किया था ?

निरंतर .....



(b) क्या शासन ने उनके आवेदन को स्वीकार कर उन्हें दोबारा डयूटी ज्वाइन करने की आज्ञा प्रदान की और शासन ने किन नियमों के तहत डयूटी में दोबारा ज्वाइक्रन की आज्ञा प्रदान की – उस शासकीय नियम के अवलोकन की अनुज्ञा प्रदान की जाए

4. पैरा 2 तथा 3 में वणिक्रत सारी जानकारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित फाइक्रल एवं नोटिंग्स (notings) के अवलोकन का अवसर प्रदान किया जाए।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.06.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि वांछित जानकारी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका लोकहित से संबंध स्पष्ट नहीं होने से उक्त जानकारी धारा 8 (1) (J) में निषेधित है।

3/ अपीलाथीक्र श्री मनीष दीक्षित सुनवाइक्र हेतु दिनांक 16.8.07 को उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि उनकी अपील के मुख्य निम्न आधार है :–

1. चाहा गया अवलोकन व्यक्तिगत स्वरूप का नहीं है, बल्कि शासन की नीतियों एवं नियमों के पालन से संबंधित है।

2. लोक सूचना अधिकारी ने धारा 8 (1) (जे) का गलत अथक्र लगाया है, क्योंकि जिस अवलोकन की जानकारी को विधानसभा व लोकसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे सूचना के अधिकार के अंतगक्रत भी प्रदान करने से मना नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त आवेदन देने के दिनांक से 30 दिन की समयावधि भी पार होने के उपरांत मुझे अवलोकन कराने में असमथक्रता की सूचना दी गयीक्र।

4/ लोक सूचना अधिकारी मय अभिलेख के उपस्थित। उन्होंने कहा कि यह अवलोकन तीसरी पाटीक्र से संबंधित होने के कारण एक माह की सामान्य समयावधि के अलावा 10 दिन लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध होते हैं। यदि इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त दिनों का विलंब हुआ है तो इसका कारण कायक्र आधिक्य तथा संबंधित शाखा

से उत्तर मिलने में हुआ विलंब है। यह अवलोकन करने की अनुमति शासन की नीतियों से संबंध रखने की अपेक्षा निजी स्वरूप की प्रतीत होती है, क्योंकि अधिकांश अवलोकन एक व्यक्ति विशेष की जानकारी से ही संबंधित है। संसदीय कायक्र नियमों में यह उल्लेख है कि विधानसभा में भी किसी व्यक्तिगत प्रकरण या व्यक्ति विशेष की जानकारी किसी प्रश्न के माध्यम से चाही जाने पर उसे अगक्राह्य करने का अनुरोध विधानसभा से संबंधित विभाग द्वारा किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित शाखा द्वारा दिया गया उत्तर, जिस पर लोक सूचना अधिकारी का निणक्रय आधारित है, नियमों के अनुरूप होने से अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5/ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत 'Public servants in relation to a Govt.' भी शामिल होते है।

6/ उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलाथीक्र ने अपने पक्ष के समथक्रन में इसके अलावा और कोइक्र तक्र प्रस्तुत नहीं किया है।

निरंतर .....



7/ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (J) और संसदीय कायक्र नियमों के आधार पर मेरा निष्कषक्र है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया निणक्रय उचित है और जानकारी पूणक्रतः वैयक्तिक स्वरूप की होने के कारण तथा संबंधित अधिकारी और शासन के बीच में वैश्वासिक संबंध पर आधारित होने के कारण उसे अवलोकन न कराने का निणक्रय उचित है। तद्नुसार अपील निरस्त की जाती है।

8/ अपीलाथीक्र चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–16/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**पं. एस.के. भारद्वाज,**

**अपीलाथीक्र**

110, मालवीय नगर,
भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

## ( दिनांक 6 अगस्त, 2007)

आवेदक द्वारा दिनांक 28.04.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गइक्र :–

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी जो कि वषक्र 1985 से 1990 तक के कैडर के अधिकारी है उनकी प्रथम नियुक्ति के समय उनकी कितनी–कितनी चल एवं अचल सम्पत्ति थी तथा 31 माचक्र, 2007 की स्थिति में मौजूद थी कृपया तुलनात्मक विवरण की स्पष्ट जानकारी देवें।
2. उनमें से किस–किस अधिकारी ने कब कब शासन से चल एवं अचल सम्पत्ति स्वयं के, परिवार के सदस्य अथवा नजदीकी रिश्तेदार के नाम से क्रय करने बाबत अनुमति प्राप्त की।
3. उनमें से राज्य शासन के सावक्रजनिक उपक्रम विभाग के अधीन किस–किस निगम मण्डल में कौन कौन अधिकारी कितने कितने समय तक रहे हैं।
4. इनमें से किस किस अधिकारी के विरूद्ध शासन को कब कब शिकायतें मिली तथा किस किस के विरूद्ध लोकायुक्त/न्यायालय में तथा विभाग में शासन स्तर पर प्रकरण लम्बित हैं कृपया प्रकरण नंबर सहित स्पष्ट जानकारी देवें।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.06.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि चाही गइक्र जानकारी व्यक्तिगत स्वरूप की है जो कि सूचना का अधिकर अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(J) में निषेधित है। साथ ही, चाही गइक्र

जानकारी का लोकहित से संबंध स्पष्ट नहीं है। चाही गइक्र जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में है, जो सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।

3/ अपीलाथीक्र पं0 एस0के0 भारद्वाज सुनवाइक्र हेतु दिनांक 6.8.07 को उपस्थित हुए तथा लोक सूचना अधिकारी भी उपस्थित। श्री भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने दिनांक 28.4.07 को आवेदन देकर आइक्र0ए0एस0 अधिकारियों से संबंधित 4 बिन्दुओं की जानकारी चाही थी। दिनांक 18..6.07 को लोक सूचना अधिकारी के आदेश द्वारा उनको जानकारी देना अस्वीकार

निरंतर .....



किया। इस आदेश के विरूद्ध उन्होंने दिनांक 25.6.07 को अपील प्रस्तुत की। अपील मेमो में चाही गयी जानकारी का पुनः उल्लेख करते हुए यह भी अवगत कराया गया कि अपीलाथीक्र को दिनांक 21.6.07 तक कोइक्र जानकारी नहीं दी गयी और न ही कोइक्र सूचना दी गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर अधिनियम का उल्लंघन किया गया। उन्होंने संबंधित जानकारी पुनः उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

4/ रिकाडक्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 25..5.07 को 3 दिन की समय–सीमा देते हुए संबंधित शाखा से जानकारी चाही गयी और संबंधित शाखा–6 ने दिनांक 7.6.07 को लोक सूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध करायी। इसके आधार पर उन्होंने दिनांक 18.6.07 को आवेदक अपीलाथीक्र को जानकारी उपलब्ध न करा सकने के संबंध में सूचित किया। मुख्य रूप से लगभग 26 दिन के विलंब से लोक सूचना अधिकारी के संबंधित लिपिक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और संबंधित शाखा द्वारा भी जानकारी प्रस्तुत करने एवं उत्तर देने में 10 दिन से अधिक का समय लगाया। लोक सूचना अधिकारी कायाक्रलय के संबंधित लिपिक का स्पष्टीकरण लेकर उसके विरूद्ध कायक्रवाही प्रस्तावित की जाये तथा सामान्य प्रशासन विभाग की समस्त शाखाओं की जानकारी को सूचना के अधिकार संबंधी समय–सीमा में देने के लिए परिपत्र जारी करें। उसे हस्ताक्षरित करा कर लोक सूचना अधिकारी के कायाक्रलय में उपलब्ध रखा जाये।

5/ अपीलाथीक्र ने कहा कि अधिनियम में व्यवस्था है कि जानकारी समय सीमा में बुलाइक्र जानी चाहिए और यदि समय–सीमा का उल्लंघन हुआ हो तो उसे निःशुल्क दिया जाना चाहिए। इसलिए मुझे जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये। इस अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) के अंतगक्रत संबंधित शाखा व लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देना अस्वीकार किया गया है।

6/ इस संबंध में केन्दक्रीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक सी0आइक्र0सी0/80/ए/2006/00069 में दिनांक 13.7.06 को पारित आदेश तथा प्रकरण क्रमांक आइक्र0सी0पी0बी0/ए–18/ सी0आइक्र0सी0/2006 में पारित आदेश दिनांक 10.5.06 अवलोकनीय है, जिसमें कहा है कि जनहित, प्रायवेसी के आधार पर धारा 8 (1) (ज) के अंतगक्रत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देना अस्वीकार करने

को उचित माना गया। मेरी राय में इन निणक्रयों में जो आधार सूचना देने को अस्वीकार करने को उचित ठहराने के लिए लिये गये हैं, वे इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा भी पारित विभिन्न निणक्रयों में भी यह धारित किया गया है कि किसी कमक्रचारी की संपत्ति का विवरण उसकी और उसके नियोक्ता के बीच विश्वास के अंतगक्रत दी गयी जानकारी है, जिसे सूचना के अधिकार के अंतगक्रत शेयर नहीं किया जा सकता।

7/ अतः अपील निरस्त की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी का पारित निणक्रय यथावत रखा जाता है। अपीलाथीक्र द्वारा दशाक्रये गये इस तथ्य की, कि उन्हें अभी तक दिनांक 18..6.07 की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं हुइक्र है, विस्तार से जांच कर लोक सूचना अधिकारी नस्ती पर वस्तुस्थिति से अवगत करायें। यदि कोइक्र कमक्रचारी दोषी पाया जाये तो उसके विरूद्ध कायक्रवाही प्रस्तावित की जाये।

निरंतर .....



8/ अपीलाथीक्र चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–16/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री दीपक मालगी,**

**अपीलार्थी**

सहायक ग्रेड–1,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 3 अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 20.07.2007 (विभाग में प्राप्त 25.07.2006) को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से दिनांक 31 माचक्र, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के स्वयं के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रति प्रदाय करने की अपील की गई।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.06.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि चाही गइक्र जानकारी व्यक्ति विशेष (स्वयं) से संबंधित है, जिसका लोकहित से संबंध स्पष्ट नहीं है। अतः सूचना के अधिकार के अधिकार की धारा 8(जे) के अंतगक्रत आवेदन पूणक्र विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है।

3/ दिनांक 3.8.07 को अपीलाथीक्र श्री मालगी समक्ष में सुनवाइक्र हेतु उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्हें उनसे संबंधित नस्ती का अवलोकन करा दिया गया है परन्तु उन्हें सी.आर. की प्रतिलिपि नहीं दी गइक्र, इससे असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की है। अपील में इसका कोइक्र विशिष्ट आधार नहीं बताया गया। तक्र में यह कहा कि मेरे हित से संबंधित कागजात होने से मुझे दिये जाय। लोक सूचना अधिकारी नपे कहा कि अभी तक सी.आर. की छायाप्रति देने का प्रावधान सूचना का अधिकार अंतगक्रत अधिनियम में नहीं दिया गया है बल्कि मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश ने इस आशय का निणक्रय भी लिया है कि स्वयं की सी.आर. किसी वयक्ति कमक्रचारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतगक्रत नहीं दी जा सकती है। अतः अपीलाथीक्र की अपील में कोइक्र तथ्यात्मक/वैधानिक आधार न होने से अपील निरस्त की जाती है।

4/ अपीलाथीक्र चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना

निरंतर .....



आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–11/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री रघु ठाकुर,**
**अपीलाथीक्र**
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
लोकतांत्रिक समाजवादी पाटीक्र,
27–ए.डी.डी.ए. फ्लेट्स, माता सुंदरी रोड,
नइक्र दिल्ली – 110002

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 31 जुलाइक्र/1 अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 19.05.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही :–

1. 1990 से लेकर मइक्र, 2007 तक किन–किन मुख्यमंत्रियों ने विदेश यात्राएं की हैं।

2. विदेश यात्राओं के स्थान का नाम तथा उन पर, उनके सहयोगियों सहित कुल यात्रा खचक्र।

3. इन यात्राओं में किन–किन उद्योगपतियों से कौन–कौन से उद्योग लगाने हेतु कितनी रशि के एम.ओ.यू. साइन हुए थे, उनका विवरण।

4. उपरोक्त में से कितने एम.ओ.यू. वास्तविक रूप ले सके और कौन–कौन से विदेशी पूंजीपतियों ने कहाँ–कहाँ कितने–कितने कारखाने लगाए या प्रदेश में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 5.6.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि चाही गइक्र जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में है एवं स्पष्ट रूप से यह लेख नहीं किया गया है कि किस–किस नस्ती के किस अभिलेख/पत्र या नोटशीट की प्रति चाहिये। उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतगक्रत "सूचना" की परिभाषा में नहीं आती है। अतः आवेदन पूणक्र विचारोपरान्त अमान्य किया जाता है।

निरंतर .....



2/ इस आदेश के विरूद्ध श्री ठाकुर ने दिनांक 22.06.2007 को अपील प्रस्तुत की कि लोक सूचना अधिकारी का निणक्रय निम्न आधार पर अवैधानिक व गलत है :–

(1) वांछित जानकारी प्रश्नोत्तर के रूप में मांगी गइक्र है, जो सूचना की परिभाषा में नहीं आती। जबकि सूचना के अधिकार कानून में प्रश्नोत्तर फामक्र में सूचना मांगने पर कोइक्र बंधन नहीं है।

(2) सूचना के अधिकार कानून में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि जो प्रश्न संसद या विधान सभा में पूछे जा सकते हैं उन्हें या उस प्रकार के प्रश्न सूचना के अधिकार में भी पूछे जा सकते हैं। (सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 (जे)।)

3/ मैंने नस्ती, अभिलेख पत्र या नोटशीट की प्रति नहीं मांगी है बल्कि वह सूचना मांगी है जो शासन की नस्तियों व फाइलों में उपलब्ध हैं।

4/ अतः अपील स्वीकार कर वांछित जानकारियां देने हेतु आदेश दें। आवश्यक खचक्र वही वहन करेंगे।

5/ समक्ष में सुनवाइक्र के दौरान श्री सिंह ने अधिनियम की परिभाषाओं के अंतगक्रत सूचना की परिभाषा का उल्लेख किया और कहा कि सूचना किसी भी रूप में – जैसे अभिलेख, कागजात, मेमो, अभिमत आदि हो सकती है। धारा–6 के अंतगक्रत सूचना प्रापत करने के अनुरोध का का उल्लेख और धारा – 7 (9) में यह उल्लेख है कि जिस रूप में सूचना चाही जाएगी, उस रूप में सूचना प्रदान की जाएगी। धारा–8 की उपधाराओं में जो प्रतिबंधित सूचनाएं हैं, उनका उल्लेख है।

6/ लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि यदि सूचना की विशिष्टियां बताइक्र जाती हैं तो सूचना प्रदान की जा सकती है। राज्य और केन्दक्रीय सूचना आयोग के ऐसे कइक्र निदेक्रश हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सूचना को वास्तविक रूप में उपलब्ध होना चाहिए और प्रश्नों को सूचना नहीं माना जा सकता।

7/ मैंने रिकाडक्र का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत तकोक्रं के आधार पर मेरा मानना है कि जो जानकारी चाही गयी थी उसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं है और जो विभिन्न प्रश्नों के रूप में जानकारी चाही गयी वह इस रूप में उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें देना संभव नहीं है। इसलिए अपील अस्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

8/ इस आदेश के विरूद्ध आप राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–7/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री आर0बी0 प्रजापति,**
**अपीलाथीक्र**
अपर संचालक,
एन.एच.डी.सी.,
खण्डवा (म0प्र0)

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक अगस्त, 2007)**

श्री आर.बी. प्रजापति, अपीलाथीक्र द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.02.2006 में निधाक्ररित समयावधि में कोइक्र विनिश्चय प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 07.02.2007 (डाक से) को अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अपील की गइक्र है।

2/ प्रकरण में अपीलकताक्र श्री आर.बी. प्रजापति, खण्डवा द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत अपने पत्र दिनांक 28.12.2006 (विभाग में प्राप्त 30.12.2006) से निम्नलिखित जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था :–

1. मेरे कायाक्रलयीन पत्र क्रमांक 2983/एनएचडीसी/अपसु/06, खण्डवा दिनांक 06.12.2006 के संबंध में बिंदुवार की गइक्र कायक्रवाही की नकल।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निधाक्ररित समयावधि में अपीलाथीक्र को कोइक्र विनिश्चय प्रदाय नहीं किया गया एवं इसी के फलस्वरूप अपीनाथीक्र द्वारा अपील की गइक्र।

4/ श्री आर.बी. प्रजापति, खण्डवा की अपील पर व्यक्तिगत सुनवाइक्र हेतु दिनांक 24.02.2007 की तिथि निधाक्ररित की गइक्र थी। निधाक्ररित दिनांक को अपीलाथीक्र उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उनका कथन था कि उन्होंने अपने पत्र दिनांक 28.12.2006 से उनके अभ्यावेदन दिनांक 06.12.2006 के संबंध में बिंदुवार की गइक्र कायक्रवाही की नकल मांगी थी, जो उन्हें प्राप्त नहीं हुइक्र है। अपीलाथीक्र का कहना है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा "स्पीकिंग आडक्रर" पारित करते हुए एक माह

की समयावधि में जानकारी उपलब्ध करानी थी अथवा आवेदन को अमान्य किया जाना चाहिए था।

5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलाथीक्र द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। नस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा

निरंतर .....



सामान्य प्रशासन विभाग की कक्ष–2 से जानकारी प्राप्त की गइक्र है, जिसमें शाखा द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.02.2007 से लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराया गया है कि श्री प्रजापति, अपर संचालक के अभ्यावेदन दिनांक 06.12.2006 को विचारोपरांत अमान्य कर दिया गया है एवं इस संबंध में संबंधित शाखा द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.01.2007 द्वारा श्री प्रजापति को भी सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा शाखा से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपीलाथीक्र को अपने पत्र दिनांक 23.02.2007 से जानकारी दी गइक्र है। प्रकरण से स्पष्ट है कि श्री प्रजापति के अभ्यावेदन दिनांक 02.12.2006 पर विभाग ने जो निणक्रय लिया है, उसके आधार पर यथा–नोटिंग्स आदि की जानकारी श्री प्रजापति को दी जानी चाहिए थी, जो कि उनको उपलब्ध नहीं कराइक्र गइक्र है।

6/ उपरोक्त विवरण के आधार पर अपीलाथीक्र श्री आर.बी. प्रजापति, खण्डवा की अपील को आंशिक रूप से मान्य करते हुए लोक सूचना अधिकारी को निदेक्रशित किया जाता है कि श्री प्रजापति के अभ्यावेदन दिनांक 06.12.2006 पर कायक्रवाही से संबंधित नोटिंग्स आदि की जानकारी भी आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अधिनियम की धारा 7(6) के प्रावधान अनुसार निशुल्क उपलब्ध कराइक्र जाए।

7/ अपीलाथीक्र चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, ओदश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– जमा कर, कर सकते हैं।

8/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.3.2007 को पत्र भेजकर सूचित किया गया कि उन्हें उक्त जानकारी एक माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तगक्रत निधाक्ररित समयावधि में सूचना प्राप्त न होने के कारण दिनांक 21.03.2007 को अपील की गइक्र।

9/ श्री आर.बी. प्रजापति, खण्डवा की अपील पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 16.04.2007 की तिथि निर्धारित की गई थी। दिनांक 12.4.2007 को अपीलाथीक्र द्वारा स्पीड पोस्ट से पत्र भेजकर निवेदन किया गया कि उनके पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही लिखत बहस मान्य किया जाए।

10／ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.02.2007 के तारतम्य में विभाग के पत्र दिनांक 03.0.2007 के द्वारा आवेदक को अवगत करया गया था एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.05.2007 के संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 05.07.2007 के द्वारा आवेदक को अवगत कराया गया है।

11／ प्रकरण में अब कोइक्र कायक्रवाही अपेक्षित नहीं है। नस्तीबद्ध किया जाए।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–7/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री आर0बी0 प्रजापति,**
**अपीलाथीक्र**
अपर संचालक,
एन.एच.डी.सी.,
खण्डवा (म0प्र0)

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता, लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक अगस्त, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 21.03.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी से गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिवेदक अधिकारी एवं स्वीकृत कताक्र अधिकारी समय पर प्रतिवेदन न लिखे जाने पर उनके विरूद्ध कायक्रवाही, गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन एवं बैठक से संबंधित कायक्रवाही विवरण की नकलें चाही गइक्र हैं।

2/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.06.2007 द्वारा आवेदक को सूचित किया कि चाही गइक्र जानकारी गोपनीय स्वरूप की होने के कारण, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(ग) एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9, दिनांक 6 फरवरी के परिशिष्ट 1 एवं 2 के अंतगक्रत जानकारी उपलब्ध कराना बंधनकारी नहीं होने के कारण उपलब्ध कराइक्र जाना संभव नहीं है।

3/ इस आदेश के विरूद्ध श्री प्रजापति ने दिनांक 15.05.2007 को अपील प्रस्तुत की कि दिनांक 21.03.07 को रिव्यू एप्लीकेशन के आवेदनप पर से जानकारी चाही थी, लेकिन समय पर जानकारी प्राप्त न होने से लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 21.04.07 के द्वारा स्मरण भी दिलाया गया, फिर भी जानकारी प्राप्त नहीं हुइ है। अतः स्पीड पोस्ट से प्रथम अपील प्रस्तुत है।

अतः अपील स्वीकार कर वांछित जानकारियां देने हेतु आदेश दें। आवश्यक खचक्र वही वहन करेंगे।

समक्ष में सुनवाइक्र के दौरान श्री सिंह ने अधिनियम की परिभाषाओं के अंतगक्रत सूचना की परिभाषा का उल्लेख किया और कहा कि सूचना किसी भी रूप में

– जैसे अभिलेख, कागजात, मेमो, अभिमत आदि हो सकती है। धारा–6 के अंतगक्रत सूचना प्रापत करने के अनुरोध का का उल्लेख और धारा – 7 (9) में यह उल्लेख है कि जिस रूप में सूचना चाही जाएगी, उस रूप में सूचना प्रदान की जाएगी। धारा–8 की उपधाराओं में जो प्रतिबंधित सूचनाएं हैं, उनका उल्लेख है।

लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि यदि सूचना की विशिष्टियां बताइक्र जाती हैं तो सूचना प्रदान की जा सकती है। राज्य और केन्दक्रीय सूचना आयोग के ऐसे कोइक्र निदेक्रश हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सूचना को वास्तविक रूप में उपलब्ध होना चाहिए और प्रश्नों को सूचना नहीं माना जा सकता।

मैंने रिकाडक्र का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत तकोक्रं के आधार पर मेरा मानना है कि जो जानकारी चाही गयी थी उसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं है और जो विभिन्न प्रश्नों के रूप में जानकारी चाही गयी वह इस रूप में उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें देना संभव नहीं है। इसलिए अपील अस्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है

निरंतर .....



5/ आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 12.04.2007 को प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव के अपर सचिव से दिनांक 25.05.2007 को जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा। अपर सचिव द्वारा दिनांक 26.05.2007 को यह अवगत कराया गया कि इस जानकारी का संबंध जनशिकायत निवारण विभाग से है। तद्नुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अपर सचिव के पत्र अनुसार अवगत कराया गया है। चूंकि आवेदक के आवेदन का संबंध जनशिकायत निवारण विभाग से है तथा इसे निर्धारित समयावधि में अंतरित नहीं किया गया है। अतः अब जन शिकायत निवारण विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराई जावे।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–10/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री जी0डी0 मेश्राम** (सेवानिवृत्त उप संचालक, उद्योग)
एफ–120/9,
**अपीलाथीक्र**
शिवाजी नगर,
भोपाल, मध्यप्रदेश

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता,** **लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

## ( दिनांक 16 जुलाई, 2007)

आवेदक द्वारा दिनांक 12.04.2007 को सूचना के अधिकार के अंतगक्रत सामान्य प्रशासन विभाग/मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को आवेदन भेजा गया था। आवेदक को उक्त पत्र के अनुक्रम में वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 03.02.2007 में जो जानकारी चाही थी, वह निम्नानुसार है :–

1. माननीय प्रधानमंत्री कायाक्रलय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र (आवेदक को) क्रमांक 04/3/2007–PMP –4/450451, दिनांक 8 FEB-2007 में संलग्न आवेदक के आवेदन में समस्त बिन्दुओं पर की गइक्र appropriate कायक्रवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने बाबत।

3/ लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 04.06.07 को श्री मेश्राम को अवगत कराया कि इस जानकारी का संबंध सामान्य प्रशासन विभाग से नहीं है। अतः वे जन शिकायत निवारण विभाग से जानकारी प्राप्त करें।

4/ इस आदेश के विरूद्ध श्री मेश्राम ने दिनांक 20.06.2007 को अपील प्रस्तुत की कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय–सीमा में मुझे अवगत नहीं कराया गया। यदि मेरे द्वारा चाही गयी जानकारी सामान्रू प्रशासन विभाग से संबंधित नहीं थी तो लोक सूचना अधिकारी को 05 दिन के अंदर उसे संबंधित विभाग को भेज देना चाहिए था, जो नहीं

किया गया इसलिए उन्हें बिना शुल्क के सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराइक्र जाए साथ ही की गई त्रुटि की क्षतिपूर्ति दिलायी जाए।

निरंतर .....



5/ आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 12.04.2007 को प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव के अपर सचिव से दिनांक 25.05.2007 को जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा। अपर सचिव द्वारा दिनांक 26.05.2007 को यह अवगत कराया गया कि इस जानकारी का संबंध जनशिकायत निवारण विभाग से है। तद्नुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को अपर सचिव के पत्र अनुसार अवगत कराया गया है। चूंकि आवेदक के आवेदन का संबंध जनशिकायत निवारण विभाग से है तथा इसे निधाक्ररित समयावधि में अंतरित नहीं किया गया है। अतः अब जन शिकायत निवारण विभाग से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराइक्र जावे।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–8/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**संचालक,**
**अपीलाथीक्र**
डॉ0 बी0आर0 अंबेडकर राजकीय स्वास्थ्य एवं
शिक्षा समिति,
2, स्ट्रीट न्यू माकेक्रट, टिमरनी, मध्यप्रदेश

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता,** **लोक सूचना अधि**
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 28 जून, 2007)**

आवेदक द्वारा दिनांक 03.02.2007 को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना के अधिकार के अंतगक्रत सचिव, सामान्य, प्रशासन विभाग को आवेदन भेजा गया था। आवेदक को उक्त पत्र के अनुक्रम में वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गइक्र है।

2/ आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 03.02.2007 में जो जानकारी चाही थी, वह निम्नानुसार है :–

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 03.07.1999 में छपी विज्ञप्ति – एक बार जारी प्रमाण पत्र सभी प्रयोजनों के लिए मान्य।
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 19.01.2007 में छपी विज्ञप्ति – मुकदमा हारने पर अधिकारी से हजाक्रना वसूलेगी सरकार।

3/ आवेदक द्वारा उक्त दोनों विज्ञप्तियों के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों की अभिप्रमाणित प्रति चाही गइक्र थी।

4/ लोक सूचना अधिकारी के कायाक्रलयीन अभिलेख के अनुसार प्रश्नाधीन आवेदन पत्र उनकी शाखा में प्राप्त नहीं हुआ। जिसके कारण जानकारी देना संभव नहीं हो सका। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टडक्र ए.डी. के एनक्नोलेजमेंट से यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पत्र सामान्य प्रशासन विभाग (शाखा – 8) द्वारा दिनांक 09.02.2007 को

प्राप्त किया गया है। इसके उपरांत उनके द्वारा यह पत्र किसको और कब प्रेषित किया गया तथा यह पत्र लोक सूचना अधिकारी तक पहुँचा या नहीं इसकी जाँच अनुभाग अधिकारी सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ करेंगे और प्रतिवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

निरंतर .....



5/ अपीलाथीक्र द्वारा दिया गया आवेदन प्राप्त होने पर यह विभाग की जिम्मेदारी होती है कि उसे लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाये ताकि निधाक्ररित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। चूंकि इस जिम्मेदारी का निवक्रहन नहीं किया गया है इसलिए अपीलाथीक्र को निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की पात्रता आती है। आवेदक द्वारा वांछित जानकारी संबंधित कक्ष से प्राप्त करके नस्ती पर रखी गइक्र है। इस जानकारी को तत्काल आवेदक को 7 दिन के अंदर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–9/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री गौतम कोठारी,** **अपीलाथीक्र**

पिता श्री हजारीमल कोठारी,
निवासी– 231, साकेत नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

**विरूद्ध**

**डॉ0 अरूणा गुप्ता,** **लोक सूचना अधि**

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

**( दिनांक 28 जून, 2007)**

श्री गौतम कोठारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से उनके आवेदन दिनांक 19.2. 2007 की जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपील प्रस्तुत की है। श्री गौतम कोठारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से जो जानकारी चाही थी उसका विवरण इस प्रकार है :–

2/ 1 अप्रैल, 2001 से सूचना प्रदाय तिथि तक म.प्र. कायक्रपालक शासन के कायक्रनियम–1 के नियम–6 के तहत् परिषद् द्वारा समय–समय पर आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद् समिति के गठन संबंधी जारी किये गये समस्त आदेश की प्रतिलिपि एवं समिति में निहित शक्तियों का विवरण (यदि शक्तियों का विवरण पृथकतः उपलब्ध न हो तो उन दस्तावेज की प्रतिलिपि जो इस आशय से गठित समिति में विहित शक्तियों का उल्लेख करती है)

3/ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी दिनांक 27.6.2007 को उन्हें प्रदाय कर दी गइक्र है।

4/ श्री गौतम कोठारी ने कहा है कि उन्हें अभी तक चाही गयी जानकारी प्राप्त नहीं हुइक्र है। उन्होंने अपील में यह भी चाहा है कि (यदि यह मान लिया जाये कि जानकारी भेजी जा चुकी है) जानकारी देने में विलंब करने वाले कमक्रचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कायक्रवाही की जाये। साथ ही विलंब से जानकारी भेजी जाने के कारण उसे निःशुल्क प्रदान की जाये। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयोग को यह अनुशंसा करें कि दोषी व्यक्तियों को संबधित को जानकारी देने में विलंब करने हेतु उनके विरूद्ध अथक्रदंड आरोपित किया जावे।

निरंतर.....2.....



5/ श्री गौतम कोठारी को जानकारी निःशुल्क प्रदाय की जाए। श्री गौतम कोठारी का यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अथक्रदंड अधिरोपित करने का प्रस्ताव राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को भेजा जावे क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्दक्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कतक्रव्य होगा कि वह निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे . . . . . (ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिदिक्रष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है।

6/ लोक सूचना अधिकारी की नस्ती का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि श्री गौतम कोठारी का आवेदन पत्र दिनांक 21.4.2007 को लोक सूचना अधिकारी को अंकित हुआ, जब कि श्री गौतम कोठारी द्वारा प्रस्तुत रसीद पर प्राप्तकताक्र के हस्ताक्षर के नीचे 21.2.2007की तारीख दी गयी है। प्रपत्र–1 जो लोक सूचना अधिकारी को अंकित किया गया है, उसमें भी माह के अंक में ओव्हर राइटिंग की गइक्र प्रतीत होती है। उप सचिव श्रीमती अरूणा गुप्ता इसकी विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्ति का नाम और उसके विरूद्ध कायक्रवाही का प्रस्ताव 7 दिन में प्रस्तुत करें।

7/ ऊपर किये गये अन्य आव्जवेक्रशन के साथ अपील स्वीकार की जाती है। यदि श्री गौतम कोठारी को 7 दिन में दिनांक 27.6.2007 को भेजी गयी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो वे उसे दुबारा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अपीलीय प्राधिकारी

**सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय, भोपाल

***(अपील आदेश क्रमांकः एफ 11–2/अपील– /07/सूअप्र/1/9)***

**श्री एस.के.राजगीर,** **अपीलार्थी**

से.नि.संयुक्त संचालक(राप्रसे)
एम–16, शास्त्री नगर, भदभदा रोड,
सांइक्र मंदिर के सामने, भोपाल(म.प्र.)

**विरूद्ध**

**उप सचिव,**
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग(कक्ष–4)
मंत्रालय, भोपाल

## आदेश

## ( दिनांक 11 जून, 2007)

श्री एस.के.राजगीर, अपीलाथीक्र द्वारा लोक सूचना अधिकारी के आदेश क्र. **324/आवे–357–358/लोसूअ/06, दिनांक 04.04.2007** से असंतुष्ट होकर अपीलीय प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष दिनांक **03.05.2007** को अपील की गई है।

2/ प्रकरण में अपीलकताक्र श्री एस.के.राजगीर, भोपाल द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत अपने पत्र दिनांक 09.10.2006(विभाग में प्राप्त 14.10.2006) द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को दिनांक 18.04.2006 को प्रस्तुत आवेदन पत्र (Notice Demanding Justice), जिसकी प्रति प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भी अंकित की गई थी, पर की गइक्र कायक्रवाही विवरण की प्रति प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया था।

3/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पैरा–1 में उल्लेखित पत्र द्वारा विनिश्चय देते हुए लेख किया गया कि आपके उक्त अभ्यावेदन का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण होने पर शीघ्र अवगत कराया जाएगा।

4/ श्री एस.के.राजगीर, भोपाल की अपील पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दि. 17.05.2007 की तिथि निधाक्ररित की गई। निर्धारित दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। उनका कथन है कि उन्होंने दिनांक 18.04.2006 को मुख्य सचिव महोदय को दिए गये नोटिस पर की गइक्र कायक्रवाही की जानकारी चाही थी। लोक सूचना अधिकारी से उन्हें यह जानकारी समय–सीमा में प्राप्त नहीं हुइक्र और दिनांक 04.04.2007 को यह सूचना दी गइक्र कि अभ्यावेदन का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें समय लगने की संभावना है। अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण

उन्होंने यह अपील प्रस्तुत की हे। संबंधित शाखा के अनुभाग अधिकारी ने अवगत कराया कि श्री राजगीर द्वारा दिया गया अभ्यावेदन परीक्षणाधीन है और उसमें अभी अंतिम निणक्रय नहीं हुआ।

निरंतर.....2.....



5/ प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी की नस्ती एवं अपीलाथीक्र द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। अपीलाथीक्र द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत अपने मूल आवेदन–पत्र में उनके द्वारा मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2006 पर की गइक्र कायक्रवाही की प्रति चाही गइक्र है। अपीलाथीक्र द्वारा चाही गइक्र जानकारी सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा–8 अंतगक्रत प्रदाय के बंधन से मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाथीक्र के आवेदन पर अभी तक की गइक्र कायक्रवाही की प्रति उपलब्ध कराइक्र जानी चाहिए थी, जबकि प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।

6/ उपरोक्त विवरण के आधार पर अपीलाथीक्र श्री एस.के.राजगीर, भोपाल की अपील को मान्य करते हुए लोक सूचना अधिकारी को निदेक्रशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपीलार्थी को उनके मूल आवेदन अनुसार प्रकरण में अभी तक की गइक्र कायक्रवाही की प्रति प्रदाय की जाए।

7/ अपीलाथीक्र चाहें तो अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन प्रकरण में द्वितीय अपील, आदेश प्राप्ति की दिनांक से 90 दिवस के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, द्वितीय मंजिल, निवाक्रचन सदन, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल को निधाक्ररित शुल्क रूपये 100/– अदा कर, कर सकते हैं।

**Sd/-**

**( डी.एस.राय )**
अपीलीय प्राधिकारी
एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग